संख्या– /उन्तीस(2)/06–2(115पे0)/2006

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 26 सितम्बर, 2006

विषयः वित्तीय वर्ष 2006–07 में राज्य सैक्टर की ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत गढ़वाल/कुमॉयू मण्डल की पम्पिग पेयजल योजनाओ के रखरखाव हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3258/धनावंटन प्रस्ताव/ दिनांक 22.08.06 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर की ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत गढ़वाल मण्डल की 32 एवं कुमॉयू मण्डल की 20 कुल 52 पम्पिंग पेयजल योजनाओं के रखरखाव हेतु उपलब्ध कराये गये अनु0लागत कमशः रू0 464.911 लाख एवं रू0 240.740 अर्थात कुल रू0 705.651 लाख के प्राक्कलनों पर टी0ए0सी0 वित्त के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई कमशः रू0 393.56 लाख (रू0 तीन करोड़ तिरानबे लाख छप्पन हजार मात्र) एवं रू0 195.70 लाख (रू0 एक करोड़ पिचानब्बे लाख सत्तर हजार मात्र) लाख अर्थात कुल रू0 589.26 लाख (रू0 पॉच करोड़ नवासी लाख छब्बीस हजार मात्र) की धनराशि के प्राक्कलनों पर प्रशासकीय एंव वित्ततीय स्वीकृति के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में निम्न विवरणानुसार जनपदवार कुल रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि रू0 लाख में)

कमांक	जनपद	रखरखावित पम्पिंग योजनाओं की संख्या	स्वीकृत धनराशि
1	देहरादून		
2	टिहरी	2	26.360
3	पौड़ी	7	36.820
4	नैनीताल	23	36.820
5	उधमसिंह नगर	8	55.00
6	अल्मोड़ा	1	4.360
7	पिथौरागढ	10	35.701
	योग	1	4.939
		52	200.00

कमशः..2

14–उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में अनुदान सं0–13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम–03–ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर–00–20– सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता के नामे" डाला जायेगा।

15.– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0–508/XXVII(2)/2006 दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

पृ0सं0 1850 /उन्तीस(2)/06–2(115पे0)/2006तददिनांक

प्रतिलिपि--निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमॉयू मण्डल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।/सम्बन्धित जनपद।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान।
6. मुख्य अभियन्ता(गढ़वाल/कुमॉयू), उत्तरांचल पेंयजल निगम पौड़ी/ नैनीताल।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त(बजट सैल)/नियोजन अनुभाग/राज्य योजना आयोग उत्तरांचल।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तरांचल।
9. स्टाफऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
10. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन्द्र सिंह तड़ागी)
उप सचिव

2– उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराचंल पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एंव दिनांक की सूचना शासन एंव महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी ।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2007 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय। अवमुक्त की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग के पश्चात उपरोक्त विवरण उपलब्ध कराने के बाद ही आगामी किस्त की अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4. योजना इसी लागत में पूर्ण कर ली जायेगी और इसमें विलम्ब व अन्य कारणों से लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6–कार्य की गुणवत्ता एंव समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

7– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

8– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताये तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निमार्ण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

10– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में टैस्टिग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

11– कार्य कराने से पूर्व स्थल की भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

12–जी0पी0डब्लू0 फार्म–9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

13–मुख्य सचिव, उत्तरांचल के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(206) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशो के कम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।

कमशः..3